



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)
 ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - सुरपुर

आजीव तपासना क्र. 2025

589/152024

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 1335 दायर दिनांक 11/10/25 निर्णय दिनांक 11/10/25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>सुरपुर</u>	129	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> <p>तहसीलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>सुरपुर</u> प.ह. <u>सुरपुर</u> खातासं <u>129</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			हस्ताक्षर पटवारी	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			हस्ताक्षर गिरदावर	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल सुरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

हसीलदार(भू.अ.) कपासन

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

11/10/25
 (Signature)
 12/10/25